न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

(1)

अनुमति वाद संख्या :– 134 / 18–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सहारा भेंगरा – विक्रेता

मंजु धान – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02/08/18	**आदेश**

आवेदक/आवेदिका सहारा भेंगरा पिता स्व0 बुधुवा भेंगरा ग्राम चकला, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने मंजु धान पति इसाक आईन्द ग्राम उकरीमारी, जतराटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
चकला	27	21	234	0.20

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0512005572 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 387 दिनांक 01.08.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम वीरसा पाहन वगैरह है। पंजी II के अनुसार बुधुवा पाहन वगैरह है। आवेदक के पास रकवा 9.11 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–2019 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैंतीस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 8.91 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सहारा भेंगरा पिता स्व0 बुधुवा भेंगरा को मंजु धान पति इसाक आईन्द के साथ ग्राम चकला के खाता सं0 21 खेसरा संख्या 234 का कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैंतीस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

3/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

3/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।